

प्ररूप—एक
(नियम 11 देखिये)

**कार्यालय कलेक्टर, सरगुजा एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग**

अधिसूचना

क्रमांक 3823 /भू—अर्जन/2019

अम्बिकापुर, दिनांक 6/06/2019

भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अन्तर्गत


नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात्:-

जिला	तहसील	ग्राम/नगर	क्षेत्रफल (हेक्टेन में)	लोक प्रयोजन का विवरण
सरगुजा	मैनपाट	पेट (झुबान क्षेत्र)	7.559	पेट पीड़िया जलाशय योजना
		पेट (नहर क्षेत्र)	2.312	
		योग:-	9.871	

उपरोक्त उल्लिखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई (दिनांक) 14/06/2019 को (समय) पूर्वान्ह 11.00 बजे (स्थान) ग्राम पंचायत भवन पेट पर नियत की गई है। प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है:-

कंडिका	विवरण
एक— लोक प्रयोजन, का संक्षिप्त विवरण।	पेट पीड़िया जलाशय योजना
दो— प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या।	48
तीन— अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या।	निरंक
चार— प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या।	निरंक
पांच— प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकान तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या।	निरंक
छ.— क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	हाँ
सात— क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	हाँ
आठ— परियोजना की कुल लागत।	1172.16 लाख रुपये (अनुमानित)
नौ— परियोजना से होने वाला लाभ।	सिंचाई क्षमता का विस्तार, एवं किसानों की आय में वृद्धि।
दस— प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा इस पर होने वाला संभावित व्यय।	परियोजना का लोगों के सामाजिक जीवन पर कोई विपरीत प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।
ग्यारह—परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी /सुझाव देना हो तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी।


 (डॉ. सारांश मित्तर)
 कलेक्टर
 सरगुजा, अम्बिकापुर

1446

(2)

पू० क्रमांक ३८२६ /भू-अर्जन/ 2019,
प्रतिलिपि-

अम्बिकापुर, दिनांक 6/06/2019

- 1- सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर।
- 2- आयुक्त, सरगुजा संभाग, अम्बिकापुर।
- 3- मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत सरगुजा, अम्बिकापुर।
- 4- अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, सीतापुर, सह अध्यक्ष, सामाजिक समाधात निर्धारण दल, को अधिसूचना की दस प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। कृपया संलग्न अधिसूचना संबंधित ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व), तहसील कार्यालय के सूचना पटल पर चर्चा कराये। साथ ही इसका प्रकाशन प्रभावित क्षेत्रों में करायें तथा उद्घोषणा भी करायें। इसके अतिरिक्त क्षेत्र में प्रचलित दो दैनिक समाचार पत्रों में अधिसूचना प्रकाशित करायें तथा ग्राम पेट अनुसूचित क्षेत्र होने के कारण ग्राम सभा की सहमति भी प्राप्त की जाए।
- 5- जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, सरगुजा, अम्बिकापुर को अधिसूचना की प्रति जिले के वेबसाईट में अपलोड किए जाने हेतु प्रेषित।
- 6- सर्व सदस्य, सामाजिक समाधात निर्धारण दल, पेट पीड़िया जलाशय योजना ग्राम पेट तहसील- मैनपाट को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 7- मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, मैनपाट, जिला सरगुजा।
- 8- कार्यपालन अभियंता जल संसाधन संभाग क्र० 01, अम्बिकापुर जिला सरगुजा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


कलेक्टर^{१४४६}
सरगुजा, अम्बिकापुर